



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं  
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)  
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं  
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)  
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

क्रमांक : एफ.26(95)आयु.उद्योग / कम्प्यू. / सर्वर / 2015

दिनांक : 15.03.2016

:: अल्पकालीन निविदा सूचना ::

इस कार्यालय में कम्प्यूटर सामग्री (टेबलेट्स - 100 नग), जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 15.00 लाख रु0 (सभी करों सहित) है, की खरीद हेतु विनिर्माताओं/अधिकृत डीलरों से निर्धारित प्रपत्र में मोहरबन्द निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं। धरोहर राशि रु0 30,000/- निर्धारित है। (नगद/डी.डी./बैंकर्स चेक द्वारा)

बिड फार्म का मूल्य	रु0 500/- (नगद/डी.डी./बैंकर्स चेक द्वारा जमा कराना होगा)
बिड फार्म विक्रय दिनांक एवं समय	16.03.2016 को प्रातः 10 बजे से
बिड फार्म विक्रय की अन्तिम तिथि एवं समय	21.03.2016 को सायं 4 बजे तक
तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड फार्म प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि एवं समय	22.03.2016 को प्रातः 11 बजे तक
तकनीकी बिड फार्म खोले जाने की तिथि एवं समय	22.03.2016 को सायं 3 बजे
वित्तीय बिड फार्म खोले जाने की तिथि एवं समय	22.03.2016 को सायं 5 बजे
बिड फार्म सामने अंकित वैब साईट से भी डाउनलोड की जा सकती है।	sppp.raj.nic.in rajind.rajasthan.gov.in
बिड फार्म की वैधता अवधि	बिड प्रस्तुत करने की तिथि से 90 दिवस
बिड प्रस्तुत करने का स्थान	कार्यालय आयुक्त, उद्योग (कमरा नं. 303)
बिड खोलने का स्थान	कार्यालय आयुक्त, उद्योग में अतिरिक्त निदेशक, उद्योग के कक्ष में (कमरा नं. 312)

अतिरिक्त निदेशक, उद्योग



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं  
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)  
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

### **Technical Specifications of Tablets (100 Nos)**

**Approximate Value Rs. 15.00 Lacs**

Display	7 inch or higher
Display Technology	TFT capacitive Touchscreen
Resolution	WXGA (1200 x 800) or higher
Processor	1.2 GHz Quad Core or higher
Connectivity	3G: HSPA+21 Mbps Quad 850/900/1900/2100 MHz 2G: EDGE/GPRS 850/900/1800/1900 MHz
Memory	1GB RAM or higher, 8GB (internal) & 16 GB Memory card (external) (Expandable by up to 32GB or higher)
Camera	3MP Primary + 0.3 MP Secondary or higher
Connectors	Micro USB, 3.5mm Ear jack
Navigation	GPS
Wireless Connectivity	Voice & Video Calling, WiFi 802.11 b/g/n 2.4+5GHz, WiFi Direct, Bluetooth v4.0
Battery Capacity	3000mAh or higher
OS	Android Kitkat v4.4 or higher
Accessories	Standard accessories with tempered screen glass Professional quality Leather Flip Cover
Warranty	1 Year OEM onsite

निविदादाता के हस्ताक्षर



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं  
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)  
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

:: अल्पकालीन निविदा पत्र ::

वर्ष 2015-16 में टेबलेट्स (Tablets) क्रय के लिए दर संविदा निर्धारण हेतु  
अल्पकालीन निविदा

1. अल्पकालीन निविदा पत्र (अ) संस्था/कार्यालय/एजेन्सी .....  
प्रस्तुत करने वाली फर्म का .....  
नाम व पता .....  
.....(मय  
टेलीफोन नम्बर)
- (ब) संस्था/कार्यालय/एजेन्सी .....  
.....  
.....(मय  
टेलीफोन नम्बर)
2. अल्पकालीन निविदा प्रपत्र का - रसीद संख्या ..... दिनांक.....  
मूल्य रूपये पांच सौ मात्र  
(अप्रतिदेय)
3. अर्नेस्ट मनी 2 प्रतिशत की - नगद/डी.डी./बैंकर्स चेक संख्या .....  
दर से (सामग्री जिनकी दरें ..... दिनांक..... राशि.....  
दी गई, के मूल्य का 2% ..... रूपये बैंक का नाम.....  
प्रतिशत) .....
4. अल्पकालीन निविदा पत्र - दिनांक 21.3.2016 दोपहर 4:00 बजे  
विक्रय की अन्तिम दिनांक तक
5. अल्पकालीन निविदा प्राप्त - दिनांक 22.3.2016 प्रातः 11:00 बजे  
करने एवं प्राप्त भरे हुए तक प्राप्त की जाकर दिनांक 22.3.2016  
निविदाओं को खोलने की को सायंकाल 3:00 बजे तकनीकी बिड एवं  
दिनांक एवं स्थान सायंकाल 5:00 बजे वित्तीय बिड कार्यालय  
आयुक्त, उद्योग में अतिरिक्त निदेशक,  
उद्योग (कमरा नं. 312) के कक्ष में।

निविदादाता के हस्ताक्षर



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं  
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)  
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

6. मैं/हम आयुक्त, उद्योग विभाग, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी की गई अल्पकालीन निविदा सूचना क्रमांक : एफ26(95)आयु.उ./कम्प्यू./सर्वर/2015 दिनांक 15.03.2016 में वर्णित समस्त शर्तों तथा संलग्न पत्रों (जिसमें समस्त पृष्ठों पर हमने उसमें वर्णित शर्तों की स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये हैं) में दी गई समस्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
7. सामग्री प्रदाय करने का स्थल आयुक्त उद्योग विभाग, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर का कार्यालय/गोदाम होगा।
8. फर्म द्वारा क्रयादेश प्राप्त करने की दिनांक से 15 दिवस की अवधि के भीतर माल की सुपुर्दगी दी जावेगी।
9. यह अल्पकालीन निविदा वार्षिक आधार पर है, जो समय-समय पर कार्यालय की आवश्यकतानुसार क्रयादेश के लिए होगी एवं प्रस्तुत समस्त दरें अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगी।
10. वेट के तहत पंजीकरण/एस.एस.आई. पंजीयन प्रमाणपत्र/पी.पी.सी. प्रमाण पत्र संलग्न है।
11. मैं/हम स्वामी/भागीदार फर्म के यह अधिघोषित करते हैं कि किसी भी राजकीय विभाग (जिसमें स्थानीय निकाय बोर्ड, निगम सम्मिलित है) द्वारा हमारे व्यवसायिक लेन-देन पर रोक नहीं लगाई गई है।
12. वस्तुओं का मेक व कम्पनी का नाम, दर व अनुमानित मात्रा की कुल राशि निविदादाता द्वारा भरी जायेगी। यदि इन आइटमों पर कोई राजकीय कर देय हो, तो उसका उल्लेख दरों के साथ किया जाये अन्यथा बाद में टेक्स देय नहीं होगा।
13. सामग्री की मात्रा कम-अधिक की जा सकती है तथा समय-समय पर आवश्यकतानुसार करके Split क्रयादेश दिये जा सकेंगे।
14. अल्पकालीन निविदा फार्म जमा कराने के साथ संलग्न प्रपत्रों का विवरण :-
  1. ....
  2. ....
  3. ....

निविदादाता के हस्ताक्षर



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं  
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)  
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

अल्पकालीन निविदा हेतु संबंधित संस्था/कार्यालय/एजेन्सी के लिए संविदा की शर्तें

**नोट:-** अल्पकालीन निविदादाता को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा निविदाएं भेजते समय इसकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए, प्रत्येक पृष्ठ हस्ताक्षरित होना चाहिए।

1. अल्पकालीन निविदाओं को निविदा सूचना (निविदा फार्म) में दिये गये निर्देशों के अनुसार सम्बोधन तथा मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी चाहिए।
2. अल्पकालीन निविदायें अधिकृत थोक विक्रेता एवं उत्पादनकर्ता द्वारा दी जायेगी। अतः वे एनेक्चर-ए में घोषणा प्रस्तुत करेंगे।
  1. राजस्थान में उत्पाद का सर्विस सेन्टर होना आवश्यक होगा।
  2. निविदादाता को कम्पनी का वैध अधिकृत विक्रेता होना संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
3.
  1. फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में निविदादाता द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जायेगा।
  2. संविदा के संबंध में फर्म में किसी नये भागीदार/भागीदारों को ठेकेदार द्वारा फर्म में स्वीकार नहीं किया जायेगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या वाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्त (डिस्चार्ज) होगी।
4. वाणिज्य कर विभाग, राजस्थान सरकार के नियमों के तहत वैट के अधीन फर्म पंजीकृत होनी चाहिए। (यदि आवश्यक हो, तो)
5. अल्पकालीन निविदा प्रारूप स्याही से भरा जायेगा या टंकण से भरा जायेगा। पेंसिल से भरी गई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता अल्पकालीन निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
6. दरें नियत स्थान पर शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जायेगी। इसमें कोई त्रुटियां (Errors)/या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी हों, तो ये स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिए। दरों में वैट एवं केन्द्रीय बिक्री करों की राशि पृथक से दिखाना चाहिए।
7. दरें गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. उद्धृत की जानी चाहिए तथा उनमें सभी आनुषंगिक प्रभारों को शामिल करना चाहिए। सरकार द्वारा कोई गाड़ी भाडा कार्टेज या परिवहन प्रभारों का भुगतान नहीं किया जाएगा तथा माल की सुपुर्दगी आयुक्तालय उद्योग भवन (भण्डार) में की जायेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं  
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)  
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

8. **1. दरों की तुलना** : राजस्थान के बाहर की फर्मों द्वारा तथा राजस्थान के भीतर की उन फर्मों द्वारा, जो नियमों के अन्तर्गत मूल्य अधिमान की हकदार नहीं हैं, द्वारा निविदा दरों की तुलना करने में, राजस्थान वैट की राशि को शामिल नहीं किया जायेगा, जबकि केन्द्रीय वैट को इसमें शामिल किया जाएगा।
2. राजस्थान के भीतर की फर्मों के संबंध में दरों की तुलना करते समय, राजस्थान वैट की राशि को शामिल किया जाएगा।
9. **मूल्य अधिमान** : मूल्य अधिमान राजस्थान के लघु एवं कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों पर या राजस्थान के बाहर के उद्योगों द्वारा उत्पादित/विनिर्मित मालों की तुलना में भण्डार क्रय (राजस्थान के उद्योगों को अधिमानता) नियम, 1995 व इस संबंध में समय समय पर संशोधित नियमों के अनुसार दी जायेगी।
10. **विधि मान्यता** : निविदायें, उनके खोले जाने की दिनांक से तीन माह तक की अवधि के लिए मान्य होगी।
11. **अनुमोदित प्रदायकर्ता** के लिए यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय किये जाने वाली अनुमोदित वस्तुओं की दशा स्पेसीफिकेशन, साईज, मेक व ड्राइंग्स आदि की विभाग में उपलब्ध सैम्पल के अनुसार सावधानीपूर्वक जांच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों के किसी भाग, स्पेसीफिकेशन, ड्राइंग आदि के आशय के बारे में कोई सन्देह हो, तो यह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे, स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
12. **ठेकेदार अपनी संविदा को** या किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या उपभाड़े (Sublet) पर नहीं देगा।
13. **विशेष विवरण :-**
- (1) प्रदाय की गई सभी वस्तुएं निविदा में निर्धारित स्पेसीफिकेशन ट्रेड मार्क के पूर्णतया अनुरूप ही होगी। अन्य प्रकार की स्पेसीफिकेशन की प्रेषित दरें मान्य नहीं होंगी।
- (2) वस्तुओं का प्रदाय, अन्य बातों के साथ अनुमोदित नमूनों के ठीक अनुरूप होगा तथा अन्य प्रदार्थों के मामलों में जहां कोई स्तरीकृत या अनुमोदित नमूना न हो, अत्युत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जायेगा। क्रेता अधिकारी/क्रेता समिति का इस संबंध में कि क्या प्रदाय की गई वस्तुएं स्पेसीफिकेशन के अनुरूप हैं तथा क्या सैम्पल यदि कोई जो, के अनुसार है, किया गया निर्णय निविदादाताओं के लिए अंतिम एवं मान्य होगा।
14. **निरीक्षण :-**
- (1) क्रेता अधिकारी या उसका विधिवत, प्राधिकृत, प्रतिनिधि सभी युक्तियुक्त उचित समयों पर प्रदायकर्ता के परिसर में जायेगा तथा वह विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद जैसा भी निश्चित किया जाएगा, किसी भी समय मालों/उपकरणों/मशीनों की सामग्री एवं कर्मकौशल का निरीक्षण एवं जांच करने की शक्ति रखेगा।
- (2) निविदादाता अपने कार्यालय के परिसर गोदाम एवं वर्कशॉप का जहां पर निरीक्षण किया जा सकता है, पूर्ण पता उस व्यक्ति के नाम व पते के साथ देंगे, जिससे उस प्रयोजन के लिए सम्पर्क करना होगा। उन डीलरों के मामले में जो व्यवसाय में नये रूप में प्रविष्ट हुए हैं, उन्हें बैंकर्स से एक परिचय पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

निविदादाता के हस्ताक्षर



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं  
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)  
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

15. सप्लाई जब भी प्राप्त की जाएगी, उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वे स्पेसीफिकेशन या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप हैं या नहीं।
16. **सैम्पल** : अनूसूची में अंकित वस्तुओं के लिए निविदाओं के साथ उचित रूप से पैक की गई निविदा वस्तुओं के दो नमूने प्रस्तुत किये जायेंगे। नमूने संलग्न नहीं होने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
17. प्रत्येक सैम्पल या किसी स्लिप पर या तो लिखकर या नमूने के साथ एक मजबूत कागज सुरक्षित ढंग से बांधकर उसे उपयुक्त ढंग से चिन्हित किया जायेगा, उस पर निविदादाता का नाम हस्ताक्षर मद की क्रम संख्या, जिसका अनुसूची में नमूना है, आदि लिखा जावेगा।
18. निविदा में दरें वार्षिक दर संविदा के अन्तर्गत चाही गई हैं। अतः उक्त दरें निविदा प्राप्ति से एक वर्ष के लिए वैध होंगी तथा सामग्री के क्रयादेश आवश्यकता अनुसार समय-समय पर दिये जायेंगे। सामग्री क्रय की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है।
19. अनुमोदित नमूनों को संविदा के समाप्त होने के बाद छः माह की अवधि तक निःशुल्क रखा जाएगा। इस अवधि में इन नमूनों को प्रतिधारित करने के दौरान उनमें परीक्षण, जांच आदि के दौरान किसी भी नुकसान, टूट-फूट व हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी।

निर्धारित अवधि की समाप्ति पर निविदादाता द्वारा नमूनों को वापस लिया जाएगा। सरकार किसी भी रूप में उन्हें लौटाने की व्यवस्था नहीं करेगी। संविदा समाप्त होने की अवधि के बाद यदि 9 माह की अवधि के भीतर कोई नमूने प्राप्त नहीं किए जाते हैं, तो उन्हें सरकार द्वारा समपहृत (**Forefiet**) कर लिया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए कोई क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएगा।

1. असफल निविदादाताओं द्वारा अनुमोदित नहीं किये गये नमूनों को इक्टड़ा किया जाएगा, जिस अवधि में इन नमूनों को रखा जाना है उनमें परीक्षण, जांच आदि के दौरान किसी भी प्रकार के नुकसान, टूट-फूट या हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी।
20. प्रदाय जब भी प्राप्त किया जाएगा उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वे विनिर्देशों या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप हैं। जहां आवश्यक हो या विहित किया गया हो या व्यावहारिक हो, वहां परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों में कराया जाएगा तथा जहां पर प्रदाय किया गया सामान इन परीक्षणों के परिणामस्वरूप विहित विनिर्देशों के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा, उन्हें स्वीकार किया जाएगा।
21. **नमूने निकालना** : परीक्षणों के मामलों में, निविदादाता व उसके प्राधिकृत प्रतिनिधी की उपस्थिति में चार सेटों में नमूने लिये जाएंगे तथा उन्हें उनकी उपस्थिति में उचित प्रकार से मुहरबंद किया जाएगा। उनमें से एक सेट उन्हें दे दिया जाएगा, एक या दो सेटों को प्रयोगशालाओं एवं या परीक्षण गृहों में भिजवा दिया जाएगा तथा तीसरा या चौथा सेट संदर्भ एवं अभिलेख के लिए कार्यालय में प्रतिपादित किया जाएगा।
22. **परीक्षण प्रभार** : परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किया जावेगा, यदि निविदादाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता हो या यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात होता हो, कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तरों या स्पेसीफिकेशन के अनुसार नहीं है, तो परीक्षण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जायेंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं  
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)  
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

23. रद्द करना :

1. निरीक्षण या परीक्षण दौरान जो वस्तुएं अनुमोदित नहीं की जाएगी, उन्हें रद्द किया जाएगा तथा निविदादाता द्वारा उन्हें क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किये गये समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदलेगा।
  2. तथापि यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण या आंशिक रूप से उन वस्तुओं को बदलना साध्य (Feasible) नहीं समझा जाये, तो क्रेता अधिकारी निविदादाता को सुनवाई किये जाने का एक उचित अवसर देकर ऐसे कारणों से, जो अभिलेखित किये जायेंगे, अनुमोदित दरों में उपयुक्त राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गई कटौती अंतिम होगी।
24. **रद्द की गई वस्तुओं को** निविदादाता उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के भीतर हटा लेगा। इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसे निविदादाता की जोखिम एवं उसके लेखे पर उन वस्तुओं को जिन्हें वह उचित समझे, बेचने का अधिकारी होगा।
25. **निविदादाता उचित पैकिंग करने के लिए** उत्तरदायी होगा, ताकि समुद्र, रेल, सड़क या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई क्षति न हो तथा गंतव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की हानि/क्षति, टूटफूट या रिसाव, लीकेज या किसी कमी के होने के मामले में निविदादाता माल की कार्यालय द्वारा उन सामग्रियों की जांच/निरीक्षण किये जाने पर पायी गई, ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगी। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जायेगी।
26. **प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल की सप्लाई** क्रेता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं की जाती है, तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत (Repudiate) कर सकता है तथा इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलेखित करेगा।
27. निविदादाता को उसके प्रतिनिधि की ओर से "प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की आर्हता (Disqualification) होगी।
28. 1. **सुपुर्दगी अवधि** :- निविदादाता, जिस संस्था की निविदा स्वीकार की जाएगी, सप्लाई आदेश की तारीख से 07 दिवस की अवधि के भीतर कार्यालय आयुक्त, उद्योग विभाग, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर के कार्यालय/गोदाम तक सामान सप्लाई करने की व्यवस्था करेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर





राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं  
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)  
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

2. **मात्रा की सीमा-आदेश को फिर से देना :-** यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के लिए आदेश दिया जाता है, तो निविदादाता अपेक्षित मात्रा में पूर्ति करने के लिए बाध्य होगा। पुनः आदेश भी निविदा में दी गई शर्तों पर ही दिये जा सकेंगे, परन्तु शर्त यह है कि ऐसे पुनरादेश मूल रूप से खरीदी गई मात्रा की 50 प्रतिशत तक की सप्लाई के लिए होंगे। यदि निविदादाता, ऐसी सप्लाई करने में असमर्थ रहता है तो क्रेता अधिकारी अवशेष सामान की सप्लाई की व्यवस्था सीमित निविदा द्वारा या अन्यथा प्रकार से करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जायेगी, उसकी निविदादाता से वसूली की जायेगी।
3. यदि क्रेता अधिकारी किन्हीं निविदत्त वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है, तो निविदादाता को किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने के लिए अधिकृत नहीं होगा।
29. **बयाना राशि :-**
- (1) निविदा के साथ फर्म द्वारा जिन-जिन सामग्री की दरें दी जा रही हैं, उसके क्रय मूल्य का 2% बयाना राशि प्रस्तुत की जावेगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। यह राशि आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर के पक्ष में निम्नलिखित में से किसी भी रूप में जमा कराई जानी चाहिए।
- (i) नकद शीर्ष 8443 सिविल निक्षेप-103-प्रतिभूति निक्षेप के अन्तर्गत ट्रैजरी चालान से जमा कराया जाना चाहिए।
- (ii) शिड्यूल बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक से (जयपुर में भुगतान योग्य)
- (2) **बयाना राशि का प्रतिदाय (रिफण्ड ऑफ अर्नेष्ट मनी)** असफल निविदादाता/ संस्था की बयाना राशि निविदा को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथाशीघ्र लौटायी जायेगी।
- (3) **बयाना राशि से छूट :-** जो फर्म आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर के जिला उद्योग केन्द्रों के पास पंजीकृत है, उन्हें उन मदों के संबंध में, जिनके लिए वे उक्त रूप में पंजीकृत है, बयाना राशि नियमानुसार छूट देय होगी, किन्तु इस शर्त के अधीन है कि पंजीयन प्रमाण पत्र मूल रूप में या उसकी एक फोटोस्टेट कॉपी या उसकी किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अभिप्रमाणित एक प्रति आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान से प्राप्त सक्षमता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी।
- (4) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को कोई बयाना राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
- (5) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गई या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बयाना राशि/प्रतिभूति निक्षेप को नई निविदाओं के लिए बयाना राशि/प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा यदि निविदाओं को पुनः आमंत्रित किया जाता है तो बयाना राशि को उपयोग में लिया जा सकता है।

निविदादाता के हस्ताक्षर



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं  
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)  
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

30. **बयाना राशि का समपहरण :-** बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जायेगा :-
1. जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने से पूर्व ही प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण (**Modification**) करता है।
  2. जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।
  3. जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद भी प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।
  4. जब वह विहित समय के भीतर सप्लाई क्रय आदेश के अनुसार कार्य करने में असफल रहता हो।
  5. जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
31. (1) **करार एवं प्रतिभूति निक्षेप :-**
1. सफल निविदादाता को आदेश प्राप्त होने से 7 दिवस के भीतर प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों (**Stores**) के लिए निविदाएं स्वीकार की गई हैं, उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि भी जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किये जाने की सूचना उसे दी गई है, से 15 दिन के भीतर जमा कराई जायेगी।
  2. निविदा के समय जमा कराई गई बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जायेगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम की नहीं होगी।
  3. प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।
  4. प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होंगे :-
    1. बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/चालन की रसीद प्रति।
    2. डाकघर बचत बैंक पासबुक जिसे विधिवत गिरवी (**Pledge**) रखा जायेगा।
    3. अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय बचत, योगजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र, डिफेन्स सेविंग्स सर्टिफिकेट्स, किसान विकास पत्र या कोई अन्य स्क्रिप्ट/विलेख यदि उन्हें गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार किया जायेगा।
  5. एक समय पर खरीद के मामलें कार्यादेश के अनुसार मदों को अन्तिम सप्लाई से एक माह के भीतर तथा यदि सुपुर्दगी के सान्तर (**Staggered**) किया जाता है तो दो माह के भीतर उसके लिए संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद या गारन्टी की अवधि, यदि कोई हो, के समाप्त होने के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि निविदादाता के विरुद्ध कोई देय बकाया (**Outstanding**) नहीं है, प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं  
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)  
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

6. आयुक्त उद्योग विभाग, राजस्थान द्वारा पंजीकृत फर्मों को उन सामानों के सम्बन्ध में जिस सामान हेतु इकाई पंजीकृत है, निविदादाता द्वारा उद्योग विभाग के कार्यालय से जारी पंजीयन की विधिवत अनुप्रमाणित एक प्रति प्रस्तुत किये जाने पर बयाना राशि के भुगतान से आंशिक छूट दी जायेगी तथा वे निविदा के अनुमानित मूल्य के एक प्रतिशत की दर से प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान करेगी।
  7. केन्द्र सरकार एवं राज. सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगे।
- (2) **प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण :-** प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहत किया जायेगा :-
1. जब संविदा के किन्हीं निबन्धनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
  2. जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय को सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
  3. प्रतिभूति निक्षेप को समपहत करने के मामलों में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में कार्यदेश जारी करने वाले अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।
- (3) **करार पत्र को पूर्ण करने एवं** उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा विभाग को उस करार पत्र की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रति पड़त (काउन्टर फाईल) निःशुल्क प्रस्तुत की जायेगी।
32. **समस्त प्रदाय सामग्री रेल्वे/गुड्स ट्रांसपोर्ट के माध्यम से** भाड़ा चुकाकर ही भेजा जायेगा। अगर भाड़ा चुकाना हो, तो प्रदायकर्ता (**Supplier**) के बिल में से उस भाड़े के 5 प्रतिशत की दर से विभागीय प्रभारों की भी वसूली की जाएगी।
33. **बीमा :**
1. सामान्य गन्तव्य कार्यालय भण्डार/गोदाम पर सामग्री का प्रदाय किया जायेगा। यदि सप्लायर चाहे तो यह मूल्यावान सामानों को चोरी, नाश या क्षय या आग, बाढ़, मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे युद्ध, दंगा आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा।
  2. यदि क्रेता द्वारा चाहा गया तो क्रेता की लागत पर भी इन वस्तुओं का बीमा कराया जा सकेगा।
34. **भुगतान :**
1. राशि का भुगतान माल अच्छी हालत **According to specification** में प्राप्त होने पर तथा उसके साथ निरीक्षण पर निविदादाता को दिये गये उस सम्बन्ध का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर दिया जाएगा।
  2. जब तक पक्षकारों के मध्य, अन्यथा सहमति न हो जाए सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जायेंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं  
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)  
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

3. विवादास्पद मदों के संबंध में नियमानुसार 10 से 25 प्रतिशत राशि को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर ही उसका भुगतान कर दिया जायेगा।
4. उन मामलों के सम्बन्ध में जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जायेगा, जब वे परीक्षण कर लिये जायेंगे तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप होंगे।
35. 1. निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता, क्रेता अधिकारी से आर्डर के प्राप्त होने से अवधि के भीतर सप्लाई करेगा।  
2. यह अल्पाकालीन निविदा है, अतः इसमें विहित सुपुर्दगी में किसी प्रकार का विलम्ब स्वीकार्य नहीं होगा।
36. **वसूलियां** : परिसमापित नुकसानी, कम सप्लाई टूटफूट रद्द की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में रोकी जाएगी। कम सप्लाई टूटफूट रद्द किये गये मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है, तो परिसमापित नुकसानी (**लिव्वीडेटेड डेमेजेज**) के साथ वसूली उसकी देय राशि क्लेम्स एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जायेगी। यदि वसूली करना संभव न हो तो राज. पी.डी.आर.एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
37. निविदादाताओं का यदि आवश्यक हो तो आयात लाईसेन्स प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी होगी।
38. यदि निविदादाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी निविदा का संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा, जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप उल्लेखित न किया गया हो।
39. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्द करने का या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सबके लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता (**Supplier**) से अधिक को स्टोर्स की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।
40. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :-
  - (1) यदि भागीदारी फर्म हो, तो भागीदारी विलेख पार्टनर डीड की एक अभिप्रमाणित प्रति।
  - (2) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो, तो पंजीकृत संख्या एवं उसका वर्ष।
  - (3) एकल स्वामित्व के मामलों में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।
  - (4) कम्पनी के मामलों में रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज के द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र।

निविदादाता के हस्ताक्षर



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं  
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)  
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

41. यदि संविदा के निर्वसन (**Interpretation**) आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो पक्षकारों द्वारा मामलों को विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा, जो उस विवाद के लिए एकमात्र मध्यस्थ (**सोल आर्बिटेटर**) के रूप में अपने वरिष्ठतम उप अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह उप अधिकारी इस संविदा से सम्बद्ध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा।
42. समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, तो किसी भी पक्षकार (**सरकार या निविदादाता**) द्वारा जयपुर राजस्थान में स्थित न्यायालय में ही पेश की जाएगी अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी।

**परिशिष्ट-1** में उल्लेखित अंकित क्रम संख्या 1 से 7 के आईटमों का क्रय कुटीर एवं लघु औद्योगिक इकाईयों से क्रय के लिए आरक्षित है और राज्य की कुटीर और लघु औद्योगिक इकाईयों के द्वारा निविदाओं में भाग नही लेने की स्थिति में भिन्न फर्मों से प्राप्त निविदाओं पर विचार किया जावेगा।

किसी भी सामग्री की सप्लाई के लिए :-

1. एक से अधिक फर्मों से अनुबन्ध किया जा सकता है।
  2. न्यूनतम टेण्डर की गणना प्रत्येक सामग्री की न्यूनतम दर के आधार पर की जावेगी।
43. ऐसे निविदादाता जो वेबसाईट से बिड डोक्यूमेंट डाऊनलोड कर उसे पूर्ण कर कार्यालय में बिड प्रस्तुत करते हैं, उन्हें आवश्यक रूप से अप्रतिदेय राशि रूपये 500/- (बिड फार्म राशि) नकद/बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक आयुक्त, उद्योग, राजस्थान सरकार के नाम बिड फार्म प्रस्तुत करते समय जमा करानी होगी। उक्त राशि के अभाव में निविदा (बिड) पर समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।
44. बिड डोक्यूमेंट का पूर्ण सैट समस्त शर्तों सहित विभाग की अधिकारिक वेबसाईट [www.rajind.rajasthan.gov.in](http://www.rajind.rajasthan.gov.in) अथवा [sppp.raj.nic.in](http://sppp.raj.nic.in) से डाउनलोड किया जा सकता है।

45. **Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest**

Any person participating in a procurement process shall-

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

निविदादाता के हस्ताक्षर



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं  
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)  
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

**Conflict of Interest:-**

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest. A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

- a. Have controlling partners/shareholders in common; or
- b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them;  
or
- c. Have the same legal representative for purposes of the Bid ;or
- d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process ;or
- e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-change/consultant for the contract.

निविदादाता के हस्ताक्षर



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं  
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)  
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

**ANNEXURE - A**

### निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन सामानों/  
मालों/स्टोर्स/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके मैं/हम  
बोनाफाईड उत्पादक/थोक विक्रेता/प्राधिकृत सेलर/डीलर हूँ/हैं। मेरे द्वारा  
मुझको वर्तमान में कम्पनी द्वारा अधिकृत किए जाने वाले वैध अधिकार पत्र  
की प्रति संलग्न कर दी गई है।

यदि यह घोषणा असत्य/अवैध/राजकीय नियमों के विरुद्ध पाई  
जाए, तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो भी की जा सकती है, पर प्रतिकूल  
प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर किया  
जा सकेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है,  
रद्द कर दिया जाएगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं  
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)  
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

**Annexure B**

**Grievance Redressal during Procurement Process**

The designation and address of the First Appellate Authority is.....

The designation and address of the Second Appellate Authority is.....

**(1) Filing an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved: Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings: Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under Para(1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para(2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.
- (4) Appeal not to lie in certain cases.

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- a) determination of need of procurement;
- b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
- d) cancellation of a procurement process;
- e) applicability of the provisions of confidentiality.

निविदादाता के हस्ताक्षर





राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं  
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)  
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

**(5) Form of Appeal**

- (a) An appeal under Para (I) or(3)above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered or authorized representative.

**(6) Fee for filling appeal**

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

**(7) Procedure for disposal of appeal**

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be upon filling of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing the First Appellate authority or Second Appellate Authority, as the case may be shall,-
  - (i) hear all the parties to appeal present before him; and
  - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d)The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

निविदादाता के हस्ताक्षर



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं  
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)  
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

FORM No. 1  
[See rule 83]

**Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012**

Appeal No.....of.....

Before the.....(First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii) Official address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative,

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6 Ground of

appeal:.....

.....

.....

.....

7

Prayer:

.....

.....

.....

Place.....

Date.....

Appellant's Signature